

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—1412/2003

संस्थित दिनांक—11.07.2003

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस चौकी डोरा, आरक्षी केन्द्र—रूपझर

जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

अशफाक कुरैशी पिता बन्नू मियां, उम्र 52 वर्ष, जाति मुसलमान,

निवासी—खुरसुड़, चौकी डोरा, थाना रूपझर,

तह. बैहर, जिला बालाघाट(म.प्र.)— — — — — आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक—23/01/2015 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा—9, 39/51 के अंतर्गत आरोप है कि दिनांक—13.06.2013 को करीब 16:15 बजे ग्राम खुरसुड़, आरक्षी केन्द्र रूपझर के अंतर्गत वन्य प्राणी सांभर के चार नग सींग बिना अनुज्ञा के अवैध रूप से रखे पाये गये।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—13.06.2003 को पुलिस चौकी प्रभारी डोरा को मुखबिर से सूचना मिली की आरोपी अशफाक अपने घर से सांभर के सींग लेकर बेचने जाने वाला है। मुखबिर की सूचना पर हमराह स्टाफ के साथ तलाशी के दौरान आरोपी के पास रखी बोरी से चार सींग सांभर के मिले। आरोपी से उक्त सांभर के सींग को कब्जे में रखने के संबंध में अनुज्ञा मांगे जाने पर आरोपी ने पेश नहीं किया, तथा सांभर का शिकार कर मांस खाकर सींग जमा किया जाना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया तथा उक्त सांभर के सींग को जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया गया। पुलिस द्वारा चौकी वापस आकर आरोपी के विरुद्ध उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस चौकी डोरा में अपराध क्रमांक—0/2003 अंतर्गत धारा—9/51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, जिस पर थाना रूपझर द्वारा असल कायमी करते हुए आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक—151/2003, धारा—9/51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा बनाया गया, गवाहों के कथन लिये गये एवं जप्तशुदा सांभर के सींग का तौल पंचनामा तैयार किया गया तथा जप्तशुदा सींग का परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा

सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा—9, 39/51 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा 313 द.प्र.स के प्रावधान अंतर्गत अभियुक्त कथन में अपराध अस्वीकार कर स्वयं को निर्दोष होना व्यक्त कर प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपी ने दिनांक—13.06.2013 को करीब 16:15 बजे ग्राम खुरसुड़, आरक्षी केन्द्र रूपझर के अंतर्गत वन्य प्राणी सांभर के सींग बिना अनुज्ञा के अवैध रूप से रखे पाये गये, जो कि वन्य प्राणी सांभर का अवैध शिकार कर प्राप्त किया?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5— आरक्षक महेन्द्र कुमार (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—13.06.2013 को चौकी डोरा थाना रूपझर में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह प्रधान आरक्षक कमल डहेरिया, आरक्षक जैवन्त व अन्य के साथ ग्राम खुरसुड़ सर्च के लिए गया था। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी अशफाक ने अपने घर में सांभर के सींग अवैध रूप से रखे हुए हैं, जिसे वह बिक्री करने जाने वाला है। आरोपी के घर पहुंचकर उसके घर की तलाशी लेने पर आरोपी के घर के सामने एक बोरे में हिरन प्रजाति का सींग दिखे, जिसे खोलने पर उसके भीतर सांभर के चार नग सींग रखे हुए थे। उक्त बोरा आरोपी के मकान के सामने रखा हुआ था। आरोपी से उक्त सींग रखने के संबंध में अनुज्ञप्ति की मांग किये जाने पर आरोपी ने अनुज्ञप्ति पत्र पेश नहीं किया था। मौके पर प्रधान आरक्षक डहेरिया, चौकी प्रभारी ज्ञान सिंह ठाकुर एवं अन्य स्टॉफ उपस्थित थे। ज्ञानसिंह ठाकुर चौकी प्रभारी डोरा ने आरोपी से सींग जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 लेख की गई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी को उन्होंने घर से उठाकर थाने ले गये थे और थाने में बुलाकर जप्ती की कार्यवाही पर गवाहों से हस्ताक्षर करा लिये थे। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार किया गया है।

6— प्रकरण में जप्ती अधिकारी की कार्यवाही महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन मामला प्रमाणित किये जाने हेतु निर्भर है। जप्ती अधिकारी ज्ञानसिंह ठाकुर (अ.सा.9) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—13.06.2003 को चौकी डोरा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को जंगल सर्चिंग करते समय प्रधान आरक्षक 570 कमल डहेरिया को मुखबिर की सूचना मिली कि अशफाक कुरैशी के पास में वन्य प्राणी हिरण प्रजाति के सींग हैं जो आज बेचने के लिए जा रहा है। उसके द्वारा उक्त सूचना की तशदीक हेतु हमराह स्टाफ को सूचना से अवगत कराया गया और साक्षीगण को साथ लेकर गया। तलाशी के दौरान आरोपी

अशफाक एक टाट का बोरा लिए मिला जिसमें हिरन की सींग की नोक निकली दिख रही थी, जिसकी तलाशी लेने पर उसमें सांभर के चार नग सींग पाये गए थे। उक्त व्यक्ति का नाम पूछने पर उसने अपना नाम अशफाक कुरैशी बताया था। उक्त आरोपी से सांभर के सींग रखने बाबत अनुज्ञा पत्र मांगने पर आरोपी ने अनुज्ञा पत्र नहीं होना व्यक्त किया। आरोपी के कब्जे से हिरण प्रजाति के सींग एक बोरे में पकड़कर जप्त किया था। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके पश्चात् आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 तैयार किया जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अपराध क्रमांक-0/03, पर कायमी कर थाना रूपझर भेजा जहां उसे असल नंबर देकर अपराध क्रमांक 151/03 दिनांक 14.06.03 को दर्ज किया गया।

7. उक्त साक्षी का आगे यह भी कथन है कि दिनांक 13.06.03 को उसने साक्षी महेन्द्र कुमार, शिवकुमार, साधूदास, मेहतरदास के कथन लेखबद्ध किये थे एवं दिनांक 14.06.03 को प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई जो प्रदर्श पी-6 है। जप्तशुदा सींग का तौल पंचनामा कमल किराना स्टोर ग्राम खुड्डुपुरी में ले जाकर कराया था। पंचनामा प्रदर्श पी-7 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 15.06.03 को प्रधान आरक्षक कमल डेहरिया के कथन लेखबद्ध किये थे। जप्तीमाल पर लगाई गई पर्ची प्रदर्श पी-8 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा जप्त सींग को परीक्षण के लिए लौगूर भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 हैं। उसने थाना वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 दर्ज किया जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 13.06.13 को थाने से जंगल सर्च करने के संबंध में रोजनामचा सान्हा क्रमांक-447 प्रदर्श पी-9 दर्ज है जिसकी कार्बन प्रति प्रदर्श पी-9 सी है। वापसी का सान्हा क्रमांक-459 प्रदर्श पी-10 है, जिसकी कार्बन प्रति प्रदर्श पी-10 सी है।

8- उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने साक्षी मेहतरदास के हस्ताक्षर थाने में ही करवा लिया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि आरोपी से सींग जप्त करने के बाद उसने सींग सीलबंद नहीं किया था। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में यह प्रकट नहीं किया कि उसने किन स्वतंत्र साक्षीगण को मौके पर लेकर गया था। यह भी उल्लेख नहीं है कि रोजनामचा सान्हा प्रदर्श पी-9 एवं प्रदर्श पी-10 में भी साक्षीगण को हमराह लिये जाने का लेख नहीं किया गया है। उक्त साक्षी ने मौके पर ही किन साक्षीगण के सामने जप्ती की कार्यवाही की, उन साक्षीगण का नाम भी अपनी साक्ष्य में प्रकट नहीं किया है, बल्कि थाने में वापस आकर साक्षी मेहतरदास के हस्ताक्षर कराए जाने का तथ्य मामले में मौके पर ही कथित जप्ती की कार्यवाही विधिवत् रूप से किये जाने में संदेह उत्पन्न होता है।

9- आरक्षक कमल डेहरिया (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय वह थाना रूपझर में प्रधान आरक्षक के पद पर था, उस समय चौकी प्रभारी डोरा ज्ञानसिंह ठाकुर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम खुरसुड में आरोपी के पास वन्यप्राणी का सींग है, उसने थाना प्रभारी को बताया जो ग्राम खुरसुड गए। आरोपी के पास एक बोरे में सांभर का सिंग मिला था। आरोपी उक्त बोरा कंधे में

रखा था, जो गांव के बाहर मिला था। आरक्षक महेन्द्र ने चैक किया तो बोरे में से सांभर का सींग मिला था। आरोपी ने उक्त सींग शिकार करके लाया था या कहीं से उठाकर लाया था, उसे नहीं मालूम। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है कि आरोपी मौके पर अपने घर में नहीं था। थाना प्रभारी ज्ञान सिंह ने मौके पर पंचनामा बनाया था या नहीं उसे याद नहीं है। साक्षी के कथन से यह प्रकट होता है कि वह मौके पर वरिष्ठ अधिकारी थाना प्रभारी के साथ गया था, किन्तु साक्षी ने थाना प्रभारी ज्ञानसिंह (अ.सा.9) के कथन के विपरीत आरोपी अशफाक को घर में उपस्थित होने के बजाय उसे घर के बाहर होना प्रकट किया है। इस प्रकार साक्षी के कथन में आरोपी के मौके पर घर के बजाए घर से बाहर रास्ते में मिलने के परस्पर विरोधाभासी कथन से की गई कार्यवाही में संदेह उत्पन्न होता है।

10— जप्ती कार्यवाही के अन्य साक्षी मेहतरदास (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि उसे पुलिसवालों ने बताया था कि आरोपी के यहां से सांभर का सींग जप्त किया गया है। उसने जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-3 पर हस्ताक्षर किये हैं। उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उक्त जप्ती पंचनामा पर हस्ताक्षर उसने पुलिस चौकी डोरा में किया था, जिसे उसे पढ़कर नहीं सुनाया गया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने स्वयं सींग नहीं देखे। इस प्रकार साक्षी ने जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का किसी भी प्रकार से समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है, बल्कि साक्षी के कथन से यह प्रकट होता है कि पुलिस के द्वारा कथित कार्यवाही पुलिस चौकी डोरा में औपचारिक रूप से पूर्ण कर साक्षियों से हस्ताक्षर करा लिए गए। इस साक्षी ने जप्ती अधिकारी के साथ कथित जप्ती कार्यवाही के समय उपस्थित होना प्रकट नहीं किया है, बल्कि मात्र पुलिस के बताए अनुसार चौकी डोरा में हस्ताक्षर करना प्रकट किया है। साक्षी के कथन से भी जप्ती अधिकारी की कार्यवाही संदेहास्पद प्रकट होती है।

11— तुलसीराम (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में घटना के समय वन परिक्षेत्र सहायक लौगूर में पदस्थ होते हुए पुलिस द्वारा कथित जप्तशुदा चार नग सींग परीक्षण हेतु पेश करने पर जप्तशुदा सींग वन्यप्राणी सांभर के पाए जाने के संबंध में जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 दिए जाने के कथन किये हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उक्त जांच हेतु पृथक से उसे कोई आवेदन नहीं दिया गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-2 में चीतल के सींग होने का उल्लेख है, जबकि साक्षी का स्वतः कथन है कि उसने सांभर के सींग का परीक्षण किया था। अभियोजन मामले के अनुसार आरोपी से कथित जप्तशुदा सींग सांभर के थे, जबकि इस साक्षी के द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में चीतल के सींग पाए जाने का उल्लेख किया गया है। साथ ही साक्षी के न्यायालयीन कथन में जांच रिपोर्ट से भिन्न सांभर के सींग पाया जाना प्रकट किया गया है। इस प्रकार साक्षी के द्वारा तैयार परीक्षण रिपोर्ट व उसके मौखिक साक्ष्य में परस्पर विरोधाभास होने से उक्त महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाता है, जिसे अभियोजन की ओर से दूर नहीं किया गया है।

12— आरक्षक गुलशन (अ.सा.8) ने कथित जप्तशुदा सींग परीक्षण कराकर रिपोर्ट डोरा चौकी में लाकर देना के कथन किये हैं, किन्तु साक्षी ने अपने कथन में यह प्रकट नहीं किया है कि उसके द्वारा कथित सींग की जांच किस अधिकारी से, किस के आदेश से तथा किसके समक्ष कराई गई। साक्षी ने यह भी प्रकट नहीं किया कि उसने कथित जांच हेतु कोई आवेदन लिखित रूप से पेश किया था। साक्षी के कथन से यह भी प्रकट नहीं होता कि उसने इस मामले में जप्तशुदा सींगों का ही परीक्षण करवाया कर रिपोर्ट लाकर दी थी।

13— आरक्षक विनोद कुसरे (अ.सा.7) ने अपनी साक्ष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 असल नंबर हेतु थाना रूपझर में लेकर आने और उस पर हस्ताक्षर होना प्रकट किया है, जबकि पीतम सिंह (अ.सा.6) ने उक्त साक्षी द्वारा रिपोर्ट पेश करने पर असल कायमी अपराध क्रमांक 151/03 कायम कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 लेख किया जाना प्रकट किया है। उक्त साक्षीगण ने मामले में प्राथमिकी दर्ज किये जाने मात्र को प्रमाणित किया है।

14— बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि प्रकरण में पुलिस अधिकारी के द्वारा कथित मुखबिर सूचना के आधार पर कार्यवाही किया जाना प्रकट किया है, किन्तु उक्त सूचना के आधार पर तैयार रोजनामचा सान्हा प्रदर्श पी-9 और वापसी सान्हा प्रदर्श पी-10 में कहीं भी यह उल्लेखित नहीं है कि मौके पर रवाना होने पर या वापसी पर स्वतंत्र साक्षीगण को हमराह लिया गया था। ऐसी दशा में जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-3 में साक्षीगण के रूप में साधूदास व मेहतरदास का नाम उल्लेखित किया जाना संदेहास्पद हो जाता है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि स्वयं जप्ती अधिकारी ज्ञानसिंह ठाकुर (अ.सा.9) ने भी अपनी साक्ष्य में उक्त साक्षीगण को हमराह लिया जाना प्रकट नहीं किया है, जबकि जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-3 के अनुसार कथित जप्ती की कार्यवाही आरोपी के घर के सामने ग्राम खुरसुड़ में किया जाना उल्लेखित है। उक्त कार्यवाही के कथित साक्षी मेहतरदास (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य मात्र जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-3 पर अपने हस्ताक्षर पुलिस के कहने पर चौकी डोरा में किया जाना प्रकट किया है, किन्तु उक्त जप्ती की कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। स्वयं जप्ती अधिकारी ज्ञानसिंह ठाकुर ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने साक्षी मेहतरदास के हस्ताक्षर थाने में ही करवाया था। इस प्रकार उक्त स्वीकारोक्ति मात्र से ही जप्ती अधिकारी की विधिवत् कार्यवाही किये जाने में महत्वपूर्ण संदेह हो जाता है।

15— जप्ती अधिकारी ज्ञानसिंह ठाकुर (अ.सा.9) की कार्यवाही का स्वतंत्र साक्षी ने समर्थन नहीं किया है। उक्त कार्यवाही का विभागीय साक्षी आरक्षक कमल डहेरिया (अ.सा.5) ने कथित जप्ती के समय आरोपी गांव के बाहर मिलने का तथ्य प्रकट किया है, जबकि जप्ती अधिकारी के अनुसार आरोपी घर के सामने ही मिला था। इसके अलावा आरक्षक महेन्द्र कुमार (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में यह प्रकट किया है कि आरोपी कथित जप्ती के समय घर पर था और उसके घर की तलाशी लेने पर कथित

सींग प्राप्त हुए थे। इस प्रकार जप्ती अधिकारी एवं विभागीय साक्षीगण की साक्ष्य में ही कथित कार्यवाही के समय आरोपी का अलग-अलग स्थानों पर मिलना भी मामले को संदेहास्पद बनाता है। प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्यों से स्पष्ट रूप से यह अधिसंभावना प्रकट होती है कि आरोपी के विरुद्ध सम्पूर्ण कार्यवाही चौकी प्रभारी के रूप में जप्ती अधिकारी पुलिस चौकी में ही पूर्ण कर मामला तैयार कर लिया गया है।

16— अभियोजन को स्वयं अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है जबकि बचाव पक्ष को अभियोजन मामले में संदेह उत्पन्न करना होता है। मामले में प्रस्तुत साक्ष्य से जो संदेहास्पद एवं विसंगति पूर्ण तथ्य उत्पन्न हुये हैं, उन्हें अभियोजन ने अपनी साक्ष्य में दूर नहीं किया है। मौके पर जप्ती की कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षीगण का उपस्थित न होना, उक्त कार्यवाही में विसंगति पूर्ण एवं विरोधाभासी तथ्य प्रकट होता है, जिसका लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार पुलिस अधिकारी की उक्त विसंगति एवं विरोधाभासी कार्यवाही के आधार पर विधिवत् जप्ती प्रमाणित नहीं है। इसके अलावा कथित जप्तशुदा सींग की परीक्षण रिपोर्ट में भी चीतल का सींग होना उल्लेखित किये जाने तथा अभियोजन के अनुसार कथित सांभर का सींग जप्त कर उसका परीक्षण कराया जाना भी महत्वपूर्ण विरोधाभास एवं संदेहास्पद तथ्य प्रकट होता है। इस कारण से अभियोजन का मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि आरोपी के आधिपत्य में कथित सींग अवैध रूप से रखे पाये गये।

17— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विश्लेषण उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में अपने आधिपत्य में वन्य प्राणी सांभर के सींग बिना अनुज्ञा के अवैध रूप से रखे पाये गये। अतएव आरोपी को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा-9, 39/51 के अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

18— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

19— प्रकरण में आरोपी दिनांक-14.06.2003 से 21.06.2003 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है, जिसके संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं. के तहत प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

20— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति 04 नग सांभर के सींग विधिवत् निराकृत किये जाने हेतु मुख्य वन संरक्षक, वन वृत्त बालाघाट, जिला बालाघाट को अपील अवधि पश्चात् सौंपा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट